

कैम्प दाखिल खारिज वाद सं.

65  
4/13-14

## कार्यालय अंचलाधिकारी (पटना)

आज दिनांक 03/11/13 को ग्राम हल्का कचहरी में आयोजित कैम्प में

(1) श्री रैकती लाल मिश्र एवं सन्त राम  
को सुनीता रानी वल्द पति श्री रैकती लाल

ग्राम सुवल्पथुर धर थाना खुलतानगंगा जिला पटना ने

वसीका नं. 7073 दिनांक 30/8/00 के द्वारा निम्नांकित जमीन का

दाखिल खारिज के लिए अनुरोध किया है।

### जमीन का विवरण

मौजा	थाना नं०	खता	प्लॉट	रकबा	लगान
मिखना पहाडी	915 12	काठ 87	M.S.P 680	664.95" Carpenter	1000

03/11/13

कैम्प में उपस्थित राजस्व/कर्मचारी पर अंचल निरीक्षक से जांच करायी गयी। जाँच प्रतिवेदन अभिलेख में संलग्न है। उनलोगों ने आवेदक के नाम से दाखिल खारिज करने की अनुशांसा किए हैं। कैम्प में उपस्थिति व्यक्तियों को नामान्तरण की दशा में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक की अनुशांसा के आधार पर दाखिल खारिज किया जाता है।

शुद्धि पत्र निर्गत करें।

लेखापति

MS

MS

अंचलाधिकारी, पटना

अंचलाधिकारी, पटना